भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4524

उत्तर देने की तारीख : 27.03.2025

आत्मनिर्भर भारत निधि के अन्तर्गत आबंटन

4524. **श्री अरविंद धर्मापुरी:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आत्मनिर्भर भारत निधि (एसआरआई फंड) के अंतर्गत आवंटित कुल धनराशि तथा अब तक इस योजना से लाभान्वित हुए एमएसएमई की संख्या कितनी है;

(ख) एसआरआई फंड के तहत वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए एमएसएमई के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ग) विनिर्माण, सेवाओं और तकनीकी-आधारित एमएसएमई को आवंटन सहित एसआरआई के अन्तर्गत निधियों का क्षेत्रवार वितरण क्या है;

(घ) क्या सरकार एसआरआई निधि की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए वित्तीय संस्थाओं या उद्यम पूंजी फर्मों के साथ सहयोग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एमएसएमई में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एसआरआई निधि में भाग लेने वाले निवेशकों को कोई कर लाभ या प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में, निधियों की निधि के माध्यम से एमएसएमई के लिए वर्ष 2020 में 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश की घोषणा की गई थी। 50,000 करोड़ रुपए की इस निधि के अंतर्गत, भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए तथा निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, एमएसएमई इस संबंध में विचार किए जाने हेतु पात्र हैं। मूल्यांकन के बाद व्यवहार्य पाए जाने वाले ऐसे एमएसएमई को इक्विटी सहायता दी जाती है, जिनका उच्च विकास दर और निधि-प्रवाह मजबूत होता है। स्थापना के बाद से दिनांक 28.02.2025 तक, 577 एमएसएमई को एसआरआई फंड के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। एसआरआई फंड के तहत देश में लाभान्वित एमएसएमई का क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

राशि (करोड़ रुपए में)

विनिर्माण		सेवाएँ		ट्रेडिंग		कुल योगदान	
एमएसएमई की संख्या	एसआरआई योगदान	एमएसएमई की संख्या	एसआर आई योगदान	एमएसएमई की संख्या	एसआरआई योगदान	एमएसएमई की संख्या	कुल एसआरआई योगदान
176	539.18	364	646.39	37	83.59	577	1,269.16

स्रोत: एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(घ) : एसआरआई फंड भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) है। एसआरआई फंड अन्य सेबी पंजीकृत एआईएफ की श्रेणी I और II के लिए प्रतिबद्ध है। एसआरआई फंड में अब तक 60 डॉटर फंड को सूचीबद्ध किया है।

(ङ) : एसआरआई फंड में निवेश, जिसे एमएसएमई को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, आयकर अधिनियम के तहत कोई विशिष्ट कर लाभ या कटौती प्रदान नहीं करता है। एमएसएमई मंत्रालय की दिनांक 18.10.2022 के अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4926(ई) अनुसार, एमएसएमई की ऊर्ध्वगामी परिवर्तन की स्थिति में गैर-कर लाभ 3 वर्षों के लिए बढ़ाए जाते हैं।

*****